उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-23/2016/1017/92-2-16-03जॉच/2012
लखनऊ: दिनांक: 26 मई,2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-कुम्भी के अंतर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्राम मढिया तथा विकास खण्ड-मोहम्मदी के अंतर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्राम रायपुर ग्रन्ट में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत कराये गये सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यो के टी0ए0सी0 जॉच में पायी गयी अनियमितताओ के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-462/92(प्रकोष्ठ)/2014-03जॉच/2012, दिनांक 15-12-2014 द्वारा श्री एस0सी0 कैथल, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये उक्त जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र दिनांक 09-07-2015 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 04 आरोपो में आरोप संख्या-2 से आरोप मुक्त, आरोप संख्या-1, 3 एवं आरोप संख्या-4 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया। जॉच आख्या में स्थापित आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 09-01-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 05-10-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा श्री एस0सी0 कैथल, तत्कालीन सहायक अभियंता, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी पर उक्त आरोप स्थापित होना नही पाया गया। अतएव श्री एस0सी0 कैथल, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में उन्हें उन पर अधिरोपित आरोपो से मुक्त करते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-462/92(प्रकोष्ठ)/2014-03जांच/2012 दिनांक 15-12-2014 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-23/2016/1017(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ।

4- श्री ए0सी0 कैथल, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखीमपुर खीरी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।